

बिहार गजट

अंसाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

30 भाद्र 1939 (श0)

(सं0 पटना 873) पटना, वृहस्पतिवार, 21 सितम्बर 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना 21 सितम्बर 2017

एस०ओ० 165, दिनांक 21 सितमबर 2017—बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 26 के उप–िनयम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल, एतद् द्वारा उक्त नियमों के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित को सत्यापन की रीतियां अधिसूचित करते हैं, अर्थात् :–

- (i) आधार आधारित इलेक्ट्रॉनिकी सत्यापन कूट (ईवीसी);
- (ii) सामान्य पोर्टल पर नेट बैंकिंग लॉग-इन के माध्यम से सृजित इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड;
- (iii) सामान्य पोर्टल पर सृजित इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड

परंतु जहां किसी दस्तावेज के अधिप्रमाणन की रीति पूर्वोक्त किसी एक रीति के माध्यम से है, वहां ऐसा सत्यापन दस्तावेज प्रस्तुत करने के दो दिन के भीतर किया जाएगा।

2. यह अधिसूचना दिनांक 28 जून, 2017 के प्रभाव से प्रवृत्त होगी।

[(सं०सं०-बिक्री-कर / जीएसटी / विविध-20 / 2017-3528)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

21 सितम्बर 2017

एस०ओ० 166, एस०ओ० 165 दिनांक 21 सितम्बर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

> [(सं०सं०-बिक्री-कर / जीएसटी / विविध-20 / 2017-3528)] बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुजाता चतुर्वेदी, वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

The 21st September 2017

- S.O. 165, dated 21st September 2017— In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 26 of the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said Rules), the Governor of Bihar hereby notifies the following modes of verification, for the purpose of the said rule, namely:-
 - (i) Aadhaar based Electronic Verification Code (EVC);
 - (ii) Electronic verification code generated through net banking login on the common portal;
 - (iii) Electronic verification code generated on the common portal.

Provided that where the mode of authentication of any document is through any of the aforesaid modes, such verification shall be done within two days of furnishing the documents.

2. This notification shall come into force with effect from 28th day of June, 2017.

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-20 /2017-3528)] By the order of Governor of Bihar, SUJATA CHATURVEDI,

Commissioner-cum-Principal Secretary, Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित, बिहार गजट (असाधारण)873-571+10-डी0टी0पी0।

Website: http://egazette.bih.nic.in